



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE

E-Mail : ro-bhopal@kvs.gov.in

☎ 0755 - 2550728 (DC)
2551678 (ACs)
2551699 (AO / FO)
Fax : 0755 - 2553126
मैदा मिल के सामने,
भोपाल - 462 011 (म.प्र.)
Opposite Maida Mill,
Bhopal - 462 011 (M.P.).

फा. 27-2/2020/आर.टी.आई./के.वि.सं./भोपाल/29090

दिनांक : 18.11.2020.
ई-मेल द्वारा

प्राचार्य एवं सहायक जन सूचना अधिकारी,
समस्त केन्द्रीय विद्यालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

विषय :- Provision for filling online RTI u/s 7(1) of the RTI Act (Life or liberty) – regarding.
महोदया / महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के Comp. No. 9294 पत्र क्रमांक फा.सं.11-पीआईसी064/3/2/2020-पीआईसी दिनांक 16.09.2020 जो कि स्वस्पष्ट है, के द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा नोडल सीपीआईओ, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली को संबोधित पत्र क्रमांक CIC/DOP&T/C/2018/628739/MOHRD दिनांक 02.09.2020 के साथ केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा मोहित कुमार गुप्ता विरुद्ध सीपीआईओ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के प्रकरण (फाईल No.CIC/DOP&T/C/2018/628739/MOHRD) में दिये गये निर्णय No.CIC/DOP&T/C/2018/628739/ MOHRD/03274 दिनांक 22.04.2020 की प्रति प्रेषित की गई है।

उक्त निर्णय में केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया है :-

"the commission finds it appropriate to highlight the issue of Sec. 7(1) implementation by citizens more so, when postal receipt of RTI applications are minimal, in such situations all public authorities should encourage RTI applications through e-mail in case of life and liberty matter. A unique e-mail id can be created by the CPIOs in this regard and reflected in their respective website. A method of online acceptance of RTI fees also has be thought of in this regard. In so far as other normal RTIs are concerned the RTI portal can be used. The Deputy Registrar is directed to circulate this order widely to the public authorities related to the Registry."

तदनुसार संभाग के जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा filling online RTI u/s 7(1) of the RTI Act (Life or liberty) के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल स्तर पर ई-मेल आई.डी. - cpiokvsbpl@gmail.com किएट की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन हेतु आर.टी.आई. शुक्ल/फीस ऑनलाईन - KVS RO Bhopal Account No. 32122922941 State Bank of India, Udyachal Branch (IFSC Code - SBIN0007932), Bhopal के माध्यम से स्वीकार किया जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार पत्र दिनांक 16.09.2020, 02.09.2020 एवं निर्णय दिनांक 22.04.2020 की प्रतियाँ संलग्न करते हुए संभाग के अन्तर्गत सभी सहायक जन सूचना अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में अनुपालन/आवश्यक कार्रवाई करने हेतु परिचालित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि अपने अधिकार क्षेत्र में अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(सोमित श्रीवास्तव)

उपायुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

प्रतिलिपि :-

1. उपायुक्त (प्रशासन)/(जन सूचना प्रकोष्ठ), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली को उनके उपर्युक्त पत्र दिनांक 16.09.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी, जन सूचना प्रकोष्ठ, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) एवं जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को अनुपालन/आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. उपायुक्त के निजी सहायक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र को संलग्नक दिनांक 16.09.2020, 02.09.2020 एवं 22.04.2020 की प्रतियों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

Softcopy
achhopal
email

उपायुक्त एवं अपीलीय अधिकारी